


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही या मध्य इनिशियल्स जज

31 ⁰¹/₂₅

पत्रावली पेशा हुई। आग्नि ० वादी अनुपस्थित।
वादी भी अनुपस्थित। तीन बार कक-
केक कर आवाज लगाई गई, लेकिन
कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः
पुकरण को अन्तर्गत आदेश ३ R 8 CPC
अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर बाद तामील
तकमील दाखिल दफतर हो।




उपखण्ड अधिकारी
पिंपरी, जिला झालावाड़ (राज्य)

